SHRI H. R. BHARDWAJ: Sir, I move:

"That at page 1, line 1, for the word 'Forty-third' the word 'Forty-fourth' be *substituted*."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): I shall now put the Enacting Formula, as amended, to vote.

The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill,"

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

SHRI H. R. BHARDWAJ: Sir, I move:

"That the Bill, as amended, be passed."

The question was put and the motion was adopted.

श्री मोहम्मद अफजल उर्फ मीम अफजल (उत्तर प्रदेश): सर, मेरी दरख्वास्त यह है कि चूंकि कम्युनिकेशन मिनिस्टर साहब आ गए हैं इसलिए पहले क्लेरिफिकेशन करा दें और बाद में बिल को लें।

†[شری محمد افضل عرف م- انفل: سر میری درخواست یہ ہے کہ کیونکہ کمیونیکیشن منسٹر صاحب آ گئے ہیں اسلئے پہلے کیری فیکیشن کرا دیں اور بعد میں بل کو لیں۔]

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) ऐसा है कि साढे पांच बजे क्लेरिफिकेशन लेना है। अभी 15 मिनट का समय है, 15 मिनट में इसको मूव हो जाने दीजिए। ...(**व्यवधान**)...क्लैरिफिकेशन तुरन्त चल जाएगा। पहले यह है आर्डर में, तो इसको ले लें।

THE NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION BILL, 1993

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): Now we will take up the National Council for Teacher Education Bill, 1993.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF EDUCATION AND DEPARTMENT OF CULTURE) (KUMARI SELJA): Sir, I beg to move:

"That the Bill to provide for the establishment of a National Council for Teacher Education with a view to achieving planned and co-ordinated development of the teacher education system throughout the country, the regulation and proper maintenance of norms and standards in the teacher education system and for matters connected therewith as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, the Bill has already been approved by the Lok Sabha on 14.5.93.

The National Policy on Education, 1986, provided that the National Council for Teacher Education (NCTE) could be provided with necessary resources and capability of accrediting institutions of teacher education and provide guidance regarding curricula and methods. The Programme of Action prepared for the implementation of the National Policy on Education realised the inherent weaknesses of the existing National Council for Teacher Education which was set up by a Government Resolution in 1973. Its role was purely advisory and mainly

† [ ] Transliteration in urdu script.

because of this, it could have very little impact towards maintaining the norms and standards of teacher training institutions and towards their planned growth. The Programme of Action, therefore, envisaged conferring satutory status on the National Council for Teacher Education.

The objective of the present Bill is to empower the National Council for Teacher Education to play an effective role in determination maintenance and co-ordination of standards in teacher education. The Council will also have power to lay down norms and guidelines for various courses and establishment of a suitable system of continuing education of teachers. The Council is sought to be empowered to make qualitative improvement in the system of teacher education. The Council would have powers to phase out substandard institutions and courses, grant recognition to the institutions and permission to recognized institutions for new courses in teacher education. Various powers of the Council such as granting recognition, granting permission for new courses, etc. would be delegated to the Regional Committees and so, a reference to the Council, in such matters would not be necessary. The Council would look after policy matters, coordination and appeal against orders of the Regional Committees.

The Ministry of Human Resource Development will provide he necessary funds for running the affairs of the Council. A budget provision of Rs. 1 crore exists towards this for the year 1993-94.

Sir, I commend the Bill for the consideration of the House.

The questino was proposed.

श्री मुहम्मद ससूद खान (उत्तर प्रदेश) : मान्यवर, बिहार तो बिहार, यू.पी. में खत तक नहीं जा रहा है। इसलिए पहले डाक कर्मचारियों की हड़ताल संबंधी स टमेंट पर क्लैरिफिकेशन्स को ले लेते।

†[شری محمد مسعود خان :
مانیور بہار تو بہار یو۔ پی - میں خط تک نہیں جا رہا ہے اسلئے پہلے ڈاک کرمچاریوں کی ہڑتال سمبندھی اسٹیٹمنٹ پر کلیری فیکیشنس کو لے لیتے ہیں -]

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): Up to the Eighth Plan there was no teacher training. What is the use of this Bill unless they withdraw the original condition? Unless that condition is withdrawn, what is the use of this?... (*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): At the time of the discussion you can make this point and you can raise it then. आप क्या कह रहे थे?

(श्री मोहम्मद मसूद खान : मैं यह कह रहा था कि बिहार तो बिहार, यू.पी. में भी कोई खत नहीं जा रहा है। तो पहले यदि कम्युनिकेशन मिनिस्टर से क्लेरिफिकेशन्स ले लेते तो अच्छा होता, यह तो एक हफ्ते बाद भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता।

†[شری محمد مسعود خان :
میں یہ کہہ رہا تھا کہ بہار تو بہار یو - پی - میں بھی کوئی خط نہیں جا رہا ہے - تو پہلے یدی کمیونیکیشن منسٹر سے کلیری فیکیشن لے لیتے تو اچھا ہوتا - یہ تو ایک ہفتے بعد بھی ہوتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا -]

†[] Transliteration in Arabic Script.

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह): मसूद साहब आप बैठिए। आपने अपनी बात कही। एक तो आप अपनी जगह से अपनी बात कहें, यह इस सदन की परम्परा है।

श्री मोहम्मद मसूद खान : मेरी यह बात वहां से मान लीजिए।

†[ڈپٹی محمد مسعود خان : صدر یہ بات وہاں سے مان لیجئے۔]

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : मेरी बात सुनिए। आप बुजुर्ग हैं, आप घबराइए नहीं। सदन की एक परम्परा होती है, एक गरिमा होती है। आप बुजुर्ग हैं तो आप ही सदन के रक्षक हैं। मंत्री जी जब अपनी बात कह रही थीं तो उसमें एक दूसरी बात एक बुजुर्ग के नाते भी आपने कह दी। दूसरी बात, जब भी इस तरह की कोई बात कहनी हो अपनी जगह से परमिशन लेकर जरूर कहिए। आपने जो अपनी बात कही है, मंत्री जी आने वाले हैं 15 मिनट में, उनके सामने यह आप जरूर रखें।

जो यह "राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद बिल, 1993" सामने आया है, इस पर डिसकशन हम शुरू कर रहे हैं, लेकिन इसे कल तक ले जाएंगे।

प्रो० सौरीन भट्टाचार्य (पश्चिमी बंगाल) : पहले आना चाहिए था।

I have been in this House and I know that unless the House decides otherwise, this extension of the work hour is not done, observing the proper course. This perhaps is the second working day of this Session because on the 2nd and 3rd December, the House adjourned without transacing any business. So, if any decision has been taken, then kindly tell us. Otherwise, this should not be done that way. Both the issues are important.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): Perhaps, you are also going to take part in the discussion because you are an expert. Here it is listed in today's Business. Now I am inviting Prof. Vishnu Kant Shastri to initiate the debate.

PROF. SAURIN BHATTACHARYA: On which basis has this been done? It should be either by the Business Advisory Committee or by the decision of the House. This cannot be completed in half an hour.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): This was decided by the Business Advisory Committee.

PROF. SAURIN BHATTACHARYA: You cannot complete the clarifications on the two statements in half an hour. But both are important issues.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): The House is not going to complete the discussion on this Bill today. Tomorrow you have also to take part in the discussion. So, today, I have already permitted the Miinster to introduce, and she has already introduced the Bill.

SHRI SUKOMAL SEN (West Bengal): What is your ruling? Will it be completed today?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): I have invited one Member to initiate the debate. At 5.30, clarifications will start. I am taking up this only up to 5.30 p.m.

SHRI SUKOMAL SEN: It means only ten minutes.

श्री ईश दत्त यादव : उपसभाध्यक्ष जी, एक मिनट यहां से बोलने की अनुमति दे दें। बस, एक मिनट चाहता हूं। कल रेल मंत्री जी ने भी बयान दिया है। क्या उस पर भी आज स्पष्टीकरण होगा?

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : हां, उस पर भी होगा। आज

† [ ] Transliteration in urdu script.

दोनों वक्तव्यों पर स्पष्टीकरण होगा। शास्त्री विष्णु कान्त शास्त्री जी।

श्री विष्णु कान्त शास्त्री (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी। ...(**व्यवधान**)

PROF. SOURIN BHATTACHARYA: Everything will remain incomplete. The Bill has been moved and it will remain incomplete. There will be a statement, and it will remain incomplete. The other thing will also remain incomplete. It is very strange.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): I have already told you that tomorrow we will discuss this matter. Today she has already moved the Bill. Now, Mr. Vishnu Kant Shastri is here. I have called him to speak.

Now, Vishnu Kant Shastriji.

श्री विष्णु कान्त शास्त्री : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् विधेयक, 1993 प्रस्तुत किया है और मैं... (**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : शास्त्री जी, एक मिनट के लिए बैठ जाएं। मैं सदन से एक अनुमति चाहता हूं। मैं सदन के वरिष्ठ माननीय सदस्य श्री राम नरेश यादव से अनुरोध कर रहा हूं कि वे कुछ देर के लिए इस चेयर पर आएं। उसके लिए क्या सदन की अनुमति है?

कुछ सम्मानित सदस्य : हां, सहमति है।

[**उपसभाध्यक्ष (श्री राम नरेश यादव)** पीठासीन हुए]

श्री विष्णु कान्त शास्त्री : माननीय पीठासीन अधिकारी जी, माननीय मंत्री जी ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विधेयक, 1993 हम लोगों के सामने विचारार्थ प्रस्तुत किया है। मैं अपने दल की तरफ से इस विधेयक का स्वागत करने के लिए और इसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। लेकिन समर्थन करने के पहले मुझे कुछ आधारभूत बातों को स्पष्ट करने की अनुमति आप दें। आज भारतवर्ष में शिक्षा की चतुर्दिक हासो स्थिति है। भारत वर्ष में शिक्षा के संबंध में इतना पीड़ादायक अनुभव मेरा इससे पहले कभी नहीं था। मुझे इस बात की बहुत पीड़ा है कि हमारे शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रकार की अराजकता है, शिक्षा व्यवसायीकरण की ओर जा रहा है, बहुत से विद्यालय केवल व्यापारिक लाभ के लिए चलाए जाते हैं, करोड़ों व्यक्तियों के लिए शिक्षा का कोई स्वरूप उपलब्ध ही नहीं है और जो हमारे सामने समस्याएं हैं, उन समस्याओं के साथ इस शिक्षा व्यवस्था को जोड़ने में मैं अपने को असमर्थ पाता हूं। मैंने जीवनभर अध्यापन का काम किया है। मैं यह मानता हूं कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है राष्ट्र को आने वाली चुनौतियों के अनुकूल बनाना, उन चुनौतियों को स्वीकार कर उन चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ विद्यार्थी निर्मित करने के लिए शिक्षा का विधान किया जाता है। जो समस्याएं हमारे सामने हैं, गरीबी की, मुद्रास्फीति की, बढ़ती हुई आतंकवादी स्थिति की, ऊर्जा की न्यूनता की, द्रुत गति से होने वाले तकनीकी परिवर्तनों को दृष्टिगत रखकर सारे विश्व के साथ भारतवर्ष को रखते हुए किस प्रकार हम अपने को आगे ले जाएंगे ये सब समस्याएं हमारे सामने हैं। मुझे कभी-कभी हैरानी होती है कि इन तमाम समस्याओं को और जो बहुत सी समस्याएं मैं कह नहीं पाया, इनको समझकर क्या इनके समाधान के समर्थ विद्यार्थी बनाने की योग्यता हमारे शिक्षकों में है? क्या हम शिक्षा व्यवस्था में ऐसे परिवर्तन करने का कोई व्यावहारिक कदम उठा रहे हैं? हो क्या रहा है? हो यह रहा है कि शिक्षा के नाम पर एक प्रकार का प्रहसन चल रहा है। आप देखिए कि हमारे यहां शिक्षकों का जो गौरव, जो सम्मान होना चाहिए, जो हमारी परंपरा में रहा है, वह आज के अर्थ प्रधान युग में बिल्कुल नष्टप्राय हो गया है क्योंकि हमारे शिक्षकों की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय है और उनको जो गौरव प्राप्त होना चाहिए

था, उसकी तरफ किसी की दृष्ट नहीं जाती। परिणाम यह है कि आज शिक्षा के क्षेत्र में वे लोग आते हैं जो शिक्षा देने के योग्य नहीं होते। जिनको समाज में कोई दूसरा काम नहीं मिलता, कोई दूसरा स्थान नहीं मिलता, वे शिक्षा के क्षेत्र में आ जाते हैं और ऐसे अयोग्य शिक्षकों के कारण हमारी शिक्षा व्यवस्था और खराब होती चली जा रही है।

मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं कि 1985 में श्री डी० पी० चटोपाध्याय ने नेशनल कमीशन आन टीचर्स के द्वारा जो वेतनमान प्रस्तावित किया था, वह वेतनमान आज भी लागू नहीं किया जा सका और 1985 से 1993 तक महंगाई कितनी बढ़ गई है, स्थिति कितनी खराब है, इस बात का हम अनुमान कर सकते हैं। इस बीच में हुआ क्या है? चूंकि और क्षेत्रों में काम नहीं मिलता और चूंकि छठे और सातवें दशक में द्रुत गति से हमने विद्यालय खोले, इस वजह से शिक्षकों की संख्या बढ़ी है। मेरे पास जो आंकड़े उपलब्ध हैं उनके अनुसार 1947-48 में 3 लाख 44 हजार प्राथमिक शिक्षक थे और 1991-92 में उनकी संख्या बढ़कर 16 लाख 39 हजार हो गई। इसी तरह 1947-48 में 50 हजार के करीब माध्यमिक शिक्षक थे और अब उनकी संख्या बढ़कर 10 लाख 71 हजार हो गई है। शिक्षकों की संख्या में वृद्धि स्वागत योग्य है लेकिन समस्या यह है कि इन बढ़े हुए शिक्षकों को प्रशिक्षण देने का जो विधान होना चाहिए, जो व्यवस्था होनी चाहिए, वह व्यवस्था बिल्कुल टूट गई है, ढह गई है। स्थिति यह है कि हमारे जो शिक्षक शिक्षण केन्द्र थे या शिक्षक शिक्षण विद्यालय थे, वे अधिक संख्या में बड़े नहीं और उनके स्थान पर एक सस्ती व्यवस्था, पत्राचार शिक्षण व्यवस्था शुरू हुई और परिणाम यह है कि आज 60 हजार से अधिक विद्यार्थी 19 विश्वविद्यालयों में केवल पत्राचार शिक्षा के द्वारा प्रशिक्षित शिक्षक की उपाधि प्राप्त कर लेते हैं और उस उपाधि के द्वारा वे शिक्षक होने के योग्य मान लिये जाते हैं।

महोदय, मेरी आपत्ति यह है कि इस पत्राचार शिक्षण व्यवस्था के द्वारा जो प्रतिमान स्वीकृत होने चाहिये, जिन प्रतिमानों के आधार पर वे योग्य शिक्षक हो सकते हैं, वे तमाम प्रतिमान अनुपलब्ध हैं। उन शिक्षकों को सीधे विद्यार्थियों के साथ कैसे संपर्क करना चाहिये, उन शिक्षकों को अपने परिवेश के साथ जोड़ कर कैसे शिक्षा देनी चाहिये, जो परिवर्तन हो रहे हैं दुनिया में, शिक्षा पद्धति में, शिक्षण व्यवस्था में, उनसे उनका कोई तालमेल नहीं है। और इस प्रकार भले ही हमारे शिक्षकों की संख्या में वृद्धि हुई हो लेकिन उनकी गुणवत्ता में, उनकी योग्यता में, शिक्षा देने की उनकी क्षमता में बहुत ही ह्रास हुआ है और इसलिये यह बहुत ही आवश्यक है कि हम कोई ऐसी व्यवस्था करें जिस व्यवस्था के द्वारा हम शिक्षक संस्थाओं को उचित रूप से परिचालित कर सकें। इसलिए अगर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की परिधि बढाई जाती है, एक ऐसी संस्था बनाई जाती है जो इस बात की निगरानी करेगी तो शिक्षण का काम ठीक ढंग से चल सकेगा, निश्चय ही यह स्वागत योग्य बात है। लेकिन मैं माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस के लिए कितना हम आर्थिक प्रावधान कर सकेंगे, यह मेरी समझ में नहीं आता। अभी जो हमारा आर्थिक प्रावधान है वह कुल केन्द्रीय सरकार का जो व्यय है उस का 3.7 प्रतिशत है जब कि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कोठारी कमीशन ने...

उपसभाध्यक्ष (श्री राम नरेश यादव): शास्त्री जी, अब आपका वक्तव्य कल जारी रहेगा।

This discussion will continue tomorrow. Now the Railway Minister is here. Let the Members seek clarifications.